<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 649 / 12</u> संस्थापन दिनांक :- 10 / 12 / 12 फाईलिंग नं. 233504000312012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

राजा पिता राजेश साण्डे, उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं. 15 आजाद वार्ड, टंडन केम्प के पीछे बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 01.02.2018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 09. 12.2012 को समय 04:30 बजे या उसके लगभग मेहरा मोहल्ला बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 10¾ इंच, चौड़ाई 2 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 09.12. 2012 को उप निरीक्षक टी.आर. धुर्वे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मेहरा मोहल्ला बोड़खी में हाथ में एक लोहे की छुरी लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे एक व्यक्ति हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिये मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ एवं साक्षीगण की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम राजा पिता राजेश बताया तथा छुरी रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 367 / 12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण

होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.12.2012 को समय 04:30 बजे या उसके लगभग मेहरा मोहल्ला बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 10¾ इंच, चौड़ाई 2 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22. 11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि वह थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसने टीआर धुर्वे के साथ कार्य किया है और वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। दिनांक 09.12.2012 को टीआर धुर्वे को सूचना मिलने के उपरांत वे मेहरा मोहल्ला बोड़खी पहुंचे थे जहां पर अभियुक्त लोहे की धारदार छुरी लिए हुए था जिस पर टीआर धुर्वे द्वारा अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर अपराध क. 367/12 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—5) लेख किया था एवं अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श पी—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर टीआर धुर्वे के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 6 लक्ष्मण (अ.सा.—2) एवं चिरोंजी (अ.सा.—3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.—1) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.—1) एवं चिरोंजी (अ.सा.—3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा विवेचक श्री टीआर धूर्वे के साथ काम किया गया है और वह उनके हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि दिनांक 09.12.2012 को टीआर धूर्वे के द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त राजा से लोहे की छुरी जप्त की गयीं, अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद थाना वापस आकर उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण की जानकारी प्रथम सुचना रिपोर्ट एवं अभियोग पत्र के दस्तावेजों को देखकर बतायी जा रही है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध जप्त किये जाने के उपरांत उसे मौके पर सील बंद किया गया है। साथ ही जप्ती पत्रक एवं गिरफतारी पत्रक में समय में ओव्हर राईटिंग की गयी है। साथ ही जप्ती पत्रक एवं गिरफतारी पत्रक में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही के बाद तैयार किये गये होंगे। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.12.2012 को समय 04:30 बजे या उसके लगभग मेहरा मोहल्ला बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 10¾ इंच, चौड़ाई 2 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त राजा को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का

निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

- 11 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437—ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।
- 12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)